कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजकीय कन्या महाविद्यालय, हनुमानगढ़

छात्र संघ चुनाव सत्र 2022 23

सूचना संख्या– 03

उम्मीदवारों हेतु आचार संहिता

1. चुनाव के दौरा ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो महाविद्यालय का सूचीबद्ध नियमित विद्यार्थी नहीं है। चुनाव प्रक्रिया में किसी भी क्षमता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. किसी भी उम्मीदवार को छपे हुए पोस्टर्स या किसी अन्य छपी हुई सामग्री का प्रचार हेतु उपयोग की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार प्रचार के लिए केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग कर सकेंगे जबकि ऐसे हस्तनिर्मित पोस्टर्स निर्धारित व्यय सीमा के अन्तर्गत बनाये गये हो।

3. उम्मीदवार केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग परिसर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीवार पर कर सकेंगे जो कि पूर्व में ही महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे।

4. किसी भी उम्मीदवार को महाविद्यालय परिसर के बाहर रैलियां, जनसभा या प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं होगी।

5. चुनाव के दौरान महाविद्यालय में उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले प्रचार कार्य से कक्षाओं में अध्ययन–अध्यापन कार्य बाधित नहीं होना चाहिए।

6. कोई भी उम्मीदवार या उसके समर्थक किसी भी उद्देश्य हेतु महाविद्यालय परिसर में किसी सम्पति को खण्डित अथवा नष्ट नहीं करेंगे।

7. चुनाव के दौरान महाविद्यालय परिसर में किसी भी रैली अथवा जनसभा को महाविद्यालय प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकेगा। **सभा स्थल महाविद्यालय परिसर राजकीय कन्या महाविद्यालय में ही करने की अनुमति है।**

8. प्रति उम्मीदवार अधिकतम 5000/– रूप्ये के व्यय की अनुमति है। चुनाव परिणाम के घोषित होने के 2 सप्ताह के अन्दर हर उम्मीदवार महाविद्यालय प्रशासन को पूर्ण एवं अंकेक्षित लेखे सुपुर्द करेगा। किसी भी प्रकार से उम्मीदवार द्वारा उक्त निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च किये जाने पर उस उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जाएगा।

9. उम्मीदवारों पर छात्र निकाय द्वारा स्वैच्छिक योगदानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से कोई धनराशि लेना विशेष रूप से प्रतिबंधित है।

10. प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, वाहनों और जानवरों का उपयोग निषिद्ध है।

11. मतदाता दिवस को किसी प्रकार का प्रचार/प्रसार सामग्री नहीं बांटेंगे।

12. मतदाता दिवस को किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री वितरित नहीं करेंगे।

13. सभी उम्मीदवारों को ऐसी गतिविधियों/ कार्यो में लिप्त होने या उनके उत्पीड़न करने से प्रतिबंधित किया जाएगा जो कि भ्रष्ट आचरण एवं अपराध माने जाते है। जैसे कि मतदाताओं को डराना–धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में प्रचार, चुनाव के आखरी घंटे से 24 घंटे पूर्व के समय में जनसभा आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर लाना और वापिस छोड़ना।

14. कोई भी उम्मीदवार ऐसी किसी प्रक्रिया/गतिविधि में लिप्त नहीं होगा, ना ही ऐसी किसी क्रिया/गतिविधि का उत्प्रेरण करेगा जो कि उपस्थित मतभेदों को बढ़ावा देवें या आपसी वैमनस्य या विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, धार्मिक अथवा भाषायी या विद्यार्थियों के किसी समुदाय या समुदायों के मध्य तनाव उत्पन्न करें।

15. किसी भी उम्मीदवार द्वारा दूसरे उम्मीदवारों की आलोचना जब भी की जायेगी तब वह उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, उनके पूर्व रिकॉर्ड व कार्यों तक सीमित होगह। उम्मीदवार निजी जीवन के सभी पक्षों की आलोचना से बचेंगे जो अन्य उम्मीदवारों की सामाजिक गतिविधियों या उनके समर्थकों से संबंधित नहीं हो। असत्यापित आरोपों व विद्रूपताओं पर आधारित अन्य उम्मीदवारों या उनके समर्थकों की आलोचना से बचा जाएगा।

16. किसी भी उम्मीदवार द्वारा मत प्राप्ति हेतु जातीय अथवा साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नहीं की जायेगी।

17. मतदान समाप्ति के 48 घंटे के भीतर मतदान क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित करना सभी उम्मीदवारों की सयुंक्त जिम्मेदारी होगी।

18. समस्त विद्यार्थी निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से अपने परिचय पत्र बनवा लेवें। इसके पश्चात परिचय–पत्र नहीं बनेंगे तथा परिचय पत्र के बिना किसी को मतदान नहीं करने दिया जायेगा।

उपरोक्त आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारिता खो देगा या उसे निर्वाचित पद से भी वंचित किया जा सकेगा जैसा कि प्रसंगवश हो। ऐसे उल्लंघन कर्ता के विरूद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही महाविद्यालय द्वारा की जायेगी।

उपर्युक्त वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान (sec 153A and chapter 1xA चुनावों से संबंधित अपराध) भी छात्र संघ चुनावों पर लागु किये जा सकेंगे।

अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजकीय कन्या महाविद्यालय, हनुमानगढ़

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजकीय कन्या महाविद्यालय, हनुमानगढ़